श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

पोमेछा / 2020–21 / 39

दिनांक 07 / 06 / 2021

10 JUN 2021

अति– आवश्यक परिपत्र

विषय :– वर्ष 2020–21 हेतु पिछडा वर्ग नवीन / नवीनीकरण के विद्यार्थियो को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने हेतु निर्देश।

संदर्भ :– कार्यालय कलेक्टर पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक पोमेछा / 2020–21 / 868 दिनांक 26 / 05 / 2021।

1) विद्यार्थियों द्वारा ऑन लाईन स्कालरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भरे एवं आवश्यक दस्तावेजो स्केन कर अपलोड करने के पश्चात, छात्रवृत्ति आवेदन लॉक करके हार्ड कापी पर स्वयं की फोटो एवं हस्ताक्षर एवं पालन के हस्ताक्षर कराकर 02 प्रतियों में संस्था में जमा करे।

2) समस्त पिछडा वर्ग के विद्यार्थी अपना ऑन लाईन आवेदन, पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन फार्म पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाईट www.scholarshipportal.mp.nic.in में भरकर, संलग्न समस्त दस्तावेजो सहित हार्ड कापी पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (लेखा विभाग) में **दिनांक 30 / 06 / 2021** तक जमा करे, जिसके अभाव में छात्रो को जमा किये गये शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त नही होगा।

3) पिछडा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति राशि का भुगतान छात्र के आधार लिंक बैक खाते में किया जावेगा। विद्यार्थीयो द्वारा बैक खाता नियमित संचालित करने संबधी घोषणा पत्र संलग्न करे। विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु बैक का नाम, बैंक खाता नम्बर, आय.एफ.एस.सी कोड की जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करे, बैंक खाते नम्बर में त्रुटि होने पर संपूर्ण जवाबदारी विद्यार्थी की होगी।

4) विद्यार्थी के क्योस्क बैक खाता संबधी जानकारी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नही की जावेगी।

5) विद्यार्थी द्वारा पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण अंकसूची दोनो सेमिस्टर / एक वर्ष छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्केन कर अपलोड किया जावे एवं पोर्टल पर परीक्षा परिणाम की जानकारी अंकित की जावे।

6) विद्यार्थी पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप आवेदन पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करे।

7) अन्य पिछडा वर्ग के केवल उन्ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी जिनकी जाति म.प्र के लिये घोषित एवं अन्य पिछडा वर्ग की सूची में शामिल है तथा इस संबध में जाति प्रमाण पत्र म.प्र के किसी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो स्वीकार किया जावे।

8) समस्त दस्तावेजो को स्वप्रमाणित हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

9) एडमिशन स्लीप, शुल्क जमा का चालान, अलॉटमेन्ट लेटर।

10) म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक / सी–3–7–20013–3–1 भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2014 द्वारा आय प्रमाण पत्र के सरलीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत अब केवल आय बाबत सादे कागज पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र मान्य हो सकेगा। शासकीय सेवक हो तो विभाग द्वारा जारी वेतन सेलरी स्लिप विगत माह की) जिसमें समस्त प्रकार के वेतन, भत्ते, मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हो। अगर माता–पिता दोनो शासकीय सेवक हो, तो दोनो की पे स्लीप जमा करना अनिवार्य है।

11) संस्थान के पिछडा वर्ग के समस्त विद्यार्थीयों, जिनके माता पिता की वार्षिक आय रु **3,00,000 / –(तीन लाख रूपये तक) है,**

अवतरित पेज न 2